

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही  
(पीठासीन अधिकारी: के.आर.खौड़, आर.ए.एस.)

**प्रार्थी**

श्रवण कुमार पुत्र मीठालाल जी, जाति-मेघवाल, निवासी-गोयली, तहसील- सिरोही,  
जिला- सिरोही

बनाम

**अप्रार्थी**

- 1.ग्राम पंचायत, गोयली जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत, गोयली, तह. व जिला- सिरोही
- 2.सदाराम पुत्र पूनाजी, जाति-मेघवाल, निवासी- गोयली, तहसील व जिला- सिरोही
- 3.जैसाराम पुत्र नथाजी, जाति-मेघवाल, निवासी- गोयली, तहसील व जिला- सिरोही
- 4.श्रीमती लेहरी पत्नि स्व. कूपाराम, जाति-मेघवाल, निवासी-गोयली, तहसील-सिरोही
- 5.श्रीमती पोसी पुत्री कूपाराम, जाति-मेघवाल, निवासी-गोयली, तह. व जिला-सिरोही
- 6.राजेन्द्र कुमार पुत्र वीनाजी, जाति-मेघवाल, निवासी-गोयली, तहसील-सिरोही

पंचायत निगरानी संख्या: 27/2022

**"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"**

**उपस्थिति:**

1. अधिवक्ता श्री कैलाश माली, अप्रार्थी संख्या-1 की ओर से
2. अधिवक्त श्री नारायण लाल कुम्हार, अप्रार्थी संख्या 4 व 5 की ओर से

**-: निर्णय :- दिनांक 21 नवम्बर, 2022**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थी की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, गोयली द्वारा मेघवाल जैसा पुत्र नथाजी, पूना, धरमा पिसरान नथाजी, निवासी-गोयली के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 113 दिनांक 04.8.1974 व ग्राम पंचायत, गोयली द्वारा जारी पट्टा संख्या 25 दिनांक 09.5.2022 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस बिनाय पर प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी के मालकी स्वामित्व तथा कब्जे का पुश्तैनी आवासीय मकान मय भूखण्ड ग्राम गोयली के मेघवाल वास में आया हुआ है जिसमें प्रार्थी व उसके परिवारजन अपने बाप दादा के समय से करीब 100 वर्षों से भी अधिक समय से निवास कर रहे व उपयोग व उपभोग कर रहे हैं जिसका ग्राम पंचायत, गोयली द्वारा पट्टा संख्या 20 दिनांक 18.12.2018 को जारी किया है एवं यह पट्टा उप पंजीयक कार्यालय, सिरोही से पंजीकृत है। इस पट्टे का नाप व चतुर्दशी उत्तर में गली व दरवाजा व सदाराम पुत्र पुनाजी का मकान, दक्षिण दिशा में आम रास्ता व दरवाजा, पूर्व में वीसाराम प्रेमाजी व मोहन प्रेमाजी का मकान व पश्चिम दिशा में लेहरी पत्नी कूपाराम का मकान है। प्रार्थी के आवासीय मकान के उत्तर में आम रास्ता है जिसका उपयोग व उपभोग प्रार्थी अपने पुरखों के समय से पिछले कई वर्षों से बिना किसी रुकावट के करते आ रहे हैं। उक्त रास्ता 12 फीट की चौड़ाई में है। उक्त रास्ते की भूमि पर किसी व्यक्ति को अवरोध उत्पन्न करने का कोई हक अधिकार नहीं है। ग्राम पंचायत, गोयली द्वारा उक्त रास्ते की भूमि के उत्तर दिशा की तरफ के आवासीय मकान व भूखण्ड जो दो भाग में है का संयुक्त पट्टा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से जारी किया गया था जिसके पट्टा संख्या 13 दिनांक 03.5.1959 है। ग्राम पंचायत, गोयली द्वारा जारी पट्टा संख्या 13 दिनांक 03.5.1959 की चतुर्दशी में उक्त भूखण्ड के मकान के दक्षिण दिशा में पडत हीण भूमि दर्शित की है एवं प्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 20 दिनांक 18.12.2018 के भूखण्ड मय मकान की चतुर्दशी में उत्तर दिशा में भी ग्राम पंचायत गोयली द्वारा मौके की स्थिति का अवलोकन करने के बाद उत्तर दिशा में गली दर्शित की है, इससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थी के मकान मय भूखण्ड



.....पेज  
अति. जिला कलक्टर  
सिरोही (राज.)

के उत्तर दिशा में व अप्रार्थी संख्या-2 सदाराम के मकान के दक्षिण दिशा में आने जाने का पुराना रास्ता है जिसका उपयोग प्रार्थी काफी समय से करता आ रहा है। यह कि ग्राम पंचायत, गोयली ने मौके की स्थिति का अवलोकन किये बिना ही व जांच किये बिना ही प्रार्थी के मकान मय भूखण्ड के उत्तर दिशा में व अप्रार्थी संख्या-2 सदाराम के मकान के दक्षिण दिशा में आने जाने के पुराने रास्ते की भूमि पर पूर्व-पश्चिम 8 फीट एवं उत्तर - दक्षिण 45 फीट कुल 850 वर्गफीट का पट्टा संख्या 113 दिनांक 04.8.1974 जैसा पुत्र नथा, पुना, धरमा पिसरान नथाजी के नाम जारी किया गया है। प्रार्थी के मकान मय भूखण्ड के उत्तर दिशा में व अप्रार्थी संख्या-2 सदाराम के मकान के दक्षिण दिशा में आने जाने के पुराने रास्ते की भूमि पर जो पट्टा संख्या 113 दिनांक 04.8.1974 जैसा पुत्र नथाजी, पुना, धरमा पिसरान नथाजी के नाम जारी किया गया है जिसमें पट्टा धारक में से जैसीया, धरमा व पुना सगे भाई है जो कि नथाजी के पुत्रगण है जिसमें से धरमा व पुना की मृत्यु हो चुकी है तथा पुना का पुत्र अप्रार्थी संख्या-2 सदाराम है तथा जैसीया ने उक्त सम्पत्ति में से अपना हक छोड़ ग्राम गोयली में पीपलकी रोड पर अलग से निवास कर रहा है व उक्त सम्पत्ति पर वर्तमान में अप्रार्थी सदाराम काबिज है जिसको प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में मार्क एबीसीडी से दर्शाया गया है। प्रार्थी के मकान मय भूखण्ड के उत्तर दिशा में व अप्रार्थी सदाराम के मकान के दक्षिण दिशा में आने जाने का पुराने रास्ते की भूमि पर जारी पट्टा संख्या 113 दिनांक 04.8.1974 की चतुर्दशी का अवलोकन किया जाये तो इस पट्टा संख्या 113 दिनांक 04.8.1974 की दक्षिण दिशा में खालसा हीण भूमि दर्शाई गई है। प्रार्थी के पट्टे की चतुर्दशी में उत्तर दिशा में दर्शाई गई गली व दरवाजा तत्पश्चात अप्रार्थी सदाराम की अचल सम्पत्ति तथा अप्रार्थी संख्या-2 सदाराम की अचल सम्पत्ति पट्टे में दक्षिण दिशा में दर्शाई पड़त हीण भूमि दर्शाई गई है। इस प्रकार, प्रार्थी के पट्टे की चतुर्दशी व अप्रार्थी संख्या-2 सदाराम के पट्टे के चतुर्दशी व विवादित पट्टा संख्या 113 दिनांक 04.8.1974 का अवलोकन करने पर यह साबित है कि प्रार्थी के मकान के उत्तर दिशा में अप्रार्थी संख्या-2 सदाराम के मकान के दक्षिण दिशा में पुराना रास्ता है। यह कि ग्राम पंचायत, गोयली द्वारा पट्टा संख्या 113 दिनांक 04.8.1974 को जारी किये जाने के बाद अप्रार्थी संख्या-4 के पति व अप्रार्थी संख्या-5 के पिता कुपाराम जी पुत्र खेताराम जी के नाम से भी पट्टा संख्या 25 दिनांक 09.5.2002 कुल क्षेत्रफल 1650 वर्गफीट का जारी किया गया है। ग्राम पंचायत गोयली ने प्रार्थी के मकान के उत्तर दिशा में अप्रार्थी संख्या-2 के मकान के दक्षिण दिशा में स्थित पुराने रास्ते की भूमि का पट्टा संख्या 25 दिनांक 09.5.2002 को विधि विरुद्ध जारी किया है, जिसको संलग्न नजरी नक्शे में ईएफजीएव से दर्शाया गया है यह कि अप्रार्थी संख्या 4 व 5 के द्वारा विवादित पट्टे की आड में रास्ते की भूमि पर अपना अविधिक रूप से हक जताते हुए निर्माण कार्य करवाने हेतु आमदा है जिससे अप्रार्थी संख्या-6 के आने जाने का रास्ता भी अवरुद्ध हो रहा है। ग्राम पंचायत गोयली द्वारा रास्ते की भूमि का पट्टा संख्या 113 दिनांक 04.8.1974 व पट्टा संख्या 25 दिनांक 09.5.2002 को जारी किये जाने से मौके पर आने-जाने का रास्ता अवरुद्ध हो रहा है व अप्रार्थी संख्या-6 के दरवाजे के सामने निर्माण कार्य किये जाने से अप्रार्थी संख्या-6 के आने जाने का रास्ता पूर्ण रूप से अवरुद्ध हो रहा है। ग्राम पंचायत, गोयली द्वारा रास्ते की भूमि का पट्टा संख्या 113 दिनांक 04.8.1974 व पट्टा संख्या 25 दिनांक 09.5.2002 को जारी किये जाने से रास्ते की भूमि में आवागमन बाधित हो रहा है, जिसके संबंध में प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत गोयली व पंचायत समिति, सिरौही में पत्राचार किया गया, जिस पर विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरौही ने पत्र क्रमांक रु पंससि / पंचायत / 2011 / 46-87 दिनांक 25.8.2011 को जारी कर मौके पर निर्माण कार्य को रुकवाकर ग्राम पंचायत, गोयली को रास्ते की भूमि से

....पेज तीन पर



अति. निता कलक्टर  
सिरौही (राज.)

अतिक्रमण हटाने हेतु आदेशित किया था. किन्तु मौके पर रास्ते की भूमि पर आज भी अवरोध कायम है. जिससे मौके पर प्रार्थी पूर्ण चौड़ाई में रास्ते का उपयोग व उपभोग करने से वंचित हो गये हैं।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या 1 (एक) की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश माली एवं अप्रार्थी संख्या 4 व 5 की ओर से अधिवक्ता श्री नारायण लाल कुम्हार उपस्थित हुये। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2, 3 व 6 को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नहीं हुये। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 4 व 5 के अधिवक्ता ने अप्रार्थी संख्या 4 व 5 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया। जबकि अप्रार्थी संख्या-1 (एक) के वकील को अप्रार्थी संख्या-1 की ओर से जवाब पेश करने हेतु समय दिये जाने के बाद भी जवाब प्रस्तुत नहीं करने से अप्रार्थी संख्या-1 का जवाब बन्द किया गया है। प्रकरण में बहस हेतु नियत सुनवाई तिथि 15.11.2022 को प्रार्थी के वकील श्री पुष्पेन्द्र चौधरी ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर इस प्रकरण में प्रार्थी की ओर से पैरवी की कोई हिदायत नहीं होना व्यक्त किया। जिस पर दिनांक 15.11.2022 को अप्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 4 व 5 के अधिवक्ता की बहस सुनी जाकर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किया जा रहा है।

(3) बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या 4 व 5 के अधिवक्ता ने व्यक्त किया कि प्रार्थी श्रवण कुमार के भाई कान्तिलाल व माता मैतीबाई द्वारा विवादित भूमि के संबंध में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 तथा अप्रार्थी संख्या 4 व 5 के पति व पिता के विरुद्ध एक वाद वास्ते शून्य घोषित करने रास्ते का पट्टा एवं स्थाई निषेधाज्ञा व आज्ञापक व्यादेश वास्ते कब्जा हटाये जाने के संबंध में सिविल न्यायालय, क.ख., सिरोही में प्रस्तुत किया गया था। उक्त मूल दीवानी वाद संख्या 43/2011 में प्रतिवादी संख्या-3 द्वारा आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर बाद सुनवाई उक्त मूल दीवानी वाद संख्या 43 / 2011 में सिविल न्यायालय, क. ख. सिरोही द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.9.2013 के द्वारा प्रतिवादी संख्या-3 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. को स्वीकार किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत बाद विरुद्ध प्रतिवादीगण आदेश 7 नियम 11 (डी) सी.पी.सी. के तहत विधि द्वारा वर्जित होने से अस्वीकार कर खारिज किया गया। सिविल न्यायालय, क.ख., सिरोही द्वारा मूल दीवानी वाद संख्या 43/2011 में पारित निर्णय व डिक्री के विरुद्ध वादीगण कान्तिलाल व अन्य द्वारा माननीय जिला न्यायालय, सिरोही में दीवानी अपील डिक्री 10/2013 प्रस्तुत की गई, जो पक्षकार के मध्य राजीनामा होने से माननीय जिला न्यायालय, सिरोही द्वारा दीवानी अपील डिक्री 10/2013 में पारित निर्णय व दिल्ली दिनांक 15.1.2019 के अनुसार सिविल न्यायालय, क.ख., सिरोही द्वारा उक्त मूल दीवानी वाद संख्या 43/2011 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.9.2013 को पुष्ट करते हुए अपील जरिये विज्ञोल खारिज की गई। यह कि अमराराम पुत्र प्रेमाजी मेघवाल, निवासी- गोईली द्वारा अप्रार्थी पूना, धरमा व जैसाराम के विरुद्ध ग्राम पंचायत, गोयली द्वारा जारी पट्टा संख्या 113 दिनांक 04.8.1974 को निरस्त व कराने हेतु न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही में धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत पंचायत निगरानी संख्या 63/ 1997 प्रस्तुत की गई थी, जो बाद सुनवाई पक्षकारान अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय, सिरोही द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25. 10.1997 के द्वारा खारिज की गई। तत्पश्चात् अमराराम द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय, सिरोही में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 की उपधारा 3 के तहत रिब्यु प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया था. इस रिब्यु प्रार्थना पत्र संख्या 92/97 में पारित निर्णय दिनांक 23.1.1998 के द्वारा प्रार्थीगण का रिब्यु प्रार्थना

....पेज चार पर



अति. जिला कलक्टर  
सिरोही (राज.)

पत्र खारिज किया गया। यह कि प्रार्थी श्रवण कुमार की माता श्रीमती मैती देवी पत्नि मीठालाल जी मेघवाल द्य ने जिला कलक्टर, सिरौही को शिकायत पत्र भी प्रस्तुत किया था जिसकी जांच पंचायत समिति, सिरौही के अतिरिक्त विकास अधिकारी से करवाई जाकर विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरौही के पत्र क्रमांक/पंससि / पंचायत / 2022 / 148 दिनांक 08.6. 2022 के द्वारा जिला कलक्टर महोदय, सिरौही को जांच रिपोर्ट प्रेषित की गई। इस जांच रिपोर्ट के निष्कर्ष में यह अंकित किया है कि मैथीदेवी का आरोप गलत होने से अप्रार्थी द्वारा किये जाने वाले निर्माण कार्य के संबंध में ग्राम पंचायत, गोयली द्वारा निर्माण स्वीकृति नियमानुसार जारी करनी चाहिये। विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरौही की उक्त जांच रिपोर्ट के बाद ग्राम पंचायत गोयली द्वारा अप्रार्थी लेहरी देवी को पट्टा संख्या 25 दिनांक 09.5.2002 पर निर्माण करने के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र क्रमांक 16 दिनांक 16.6.2002 को जारी किया गया है। यह कि प्रार्थी ने गलत तथ्यों के आधार पर पट्टा संख्या 113 व 25 को निरस्त कराने हेतु यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया है। अप्रार्थी लेहरी देवी को रास्ते की भूमि का पट्टा जारी नहीं किया गया है एवं न ही मौके पर कोई रास्ता बाधित हो रहा है। अप्रार्थी लेहरी देवी को पंचायत की पडत आबादी भूमि जिस पर उसक पुश्तैनी मकान व कब्जा था उसका पट्टा जारी किया है। अप्रार्थी लेहरी देवी द्वारा नियमानुसार निर्माण स्वीकृति प्राप्त करके पट्टे शुदा आबादी भूमि पर पक्का निर्माण कार्य करवाया है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे। बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या-1 के अधिवक्ता ने अप्रार्थी संख्या 4 व 5 के कथनों की ताईद करते हुए की गई।

(4) हमने सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तो यह पाया कि प्रार्थी श्रवण कुमार ने ग्राम पंचायत, गोयली द्वारा जारी पट्टा संख्या 113 दिनांक 04.8.1974 व पट्टा संख्या 25 दिनांक 09.5.2002 को निरस्त कराने हेतु यह निगरानी आवेदन राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 (1) के तहत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया है। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 4 व 5 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह पाया गया कि श्री कान्तिलाल पुत्र मीठालाल जी, जाति- मेघवाल व मेतीबाई पत्नी मीठालाल जी, जाति- मेघवाल, निवासी- गोयली (जो कि प्रार्थी श्रवण कुमार के भाई व माता है) के द्वारा विवादित भूमि के संबंध में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरुद्ध तथा अप्रार्थी संख्या 4 व 5 के पति व पिता कुपाराम जी के विरुद्ध एक वाद वास्ते शून्य घोषित करने रास्ते का पट्टा एवं स्थाई निषेधाज्ञा व आज्ञापक व्यादेश वास्ते कब्जा हटायें जाने के संबंध में माननीय सिविल न्यायालय, क.ख. सिरौही में प्रस्तुत किया गया था। उक्त मूल दीवानी वाद संख्या 43/2011 में प्रतिवादी संख्या-3 (कूपाराम) की ओर से आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ। जिस पर बाद सुनवाई पक्षकारान उक्त मूल दीवानी वाद संख्या 43 / 2011 में माननीय सिविल न्यायाधीश. क. ख., सिरौही द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.9.2013 के द्वारा प्रतिवादी संख्या-3 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. को स्वीकार किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण आदेश 7 नियम 11 (डी) सी.पी.सी. के तहत विधि द्वारा वर्जित होने से अस्वीकार कर खारिज किया गया। माननीय सिविल न्यायालय, क.ख. सिरौही द्वारा मूल दीवानी वाद संख्या 43 / 2011 में पारित निर्णय व डिक्री के विरुद्ध वादीगण कांतिलाल व अन्य द्वारा माननीय जिला न्यायालय, सिरौही में दीवानी अपील डिक्री संख्या: 10/2013 प्रस्तुत की गई। इस दीवानी अपील डिक्री संख्या 10/2013 में पक्षकार के मध्य राजीनामा होने से माननीय जिला न्यायालय, सिरौही द्वारा दीवानी अपील डिक्री संख्या: 10/2013 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.1.2019 के अनुसार सिविल न्यायालय क.ख. सिरौही द्वारा उक्त मूल

....पेज पांच पर



a  
अति. जिला कलक्टर  
सिरौही (राज.)

दीवानी वाद संख्या 43 / 2011 कांतिलाल व अन्य बनाम सदाराम व अन्य में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.9.2013 को पुष्ट करते हुए अपील जरिये विज्ञोल खारिज की गई। अप्रार्थी संख्या 4 व 5 की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अमराराम पुत्र प्रेमाजी, जाति- मेघवाल, निवासी- गोईली द्वारा अप्रार्थी पूना, धरमा व जैसाराम एवं ग्राम पंचायत, गोयली के विरुद्ध ग्राम पंचायत, गोयली द्वारा जारी पट्टा संख्या 113 दिनांक 04.8.1974 को निरस्त कराने हेतु इस न्यायालय (अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय, सिरोही) में धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत पंचायत निगरानी संख्या 63/1997 प्रस्तुत की गई थी. जिसमें बाद सुनवाई पक्षकारान अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय, सिरोही द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.10.1997 के द्वारा निगरानी खारिज की गई। तत्पश्चात् अमराराम द्वारा इस न्यायालय (अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय, सिरोही) में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 की उपधारा 3 के तहत रिव्यु प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया था, इस रिव्यु प्रार्थना पत्र संख्या 92/97 में इस न्यायालय (अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय, सिरोही) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.1.1998 के द्वारा प्रार्थीगण का रिव्यु प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त सभी तथ्यों के विवेचन के अनुसार प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।



(के.आर.खौड़)  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
सिरोही

~~245~~

245  
21.11.2022

2022/121